FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ______________ मुकाम ______________

समुन्द्रसिंह बनाम जगदीश वगै.

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 251 A नं. 367 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
3/8/23	अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा. पत्र पत्रावली तलब कर निर्णय में संशोधन बाबत अन्तर्गत धारा 151,152 सीपीसी में दिनांक 28.07.23 को पेश किया। मूल पत्रावली के साथ प्रा. पत्र दिनांक 01.08.23 को पेश होने के आदेश प्रा. पत्र पर दिये गये परन्तु 01.08.23 को पीठासीन अधिकारी के बाहर दोरे पर होने के कारण पत्रावली आज नियत तारीख पेशी पर पेश हुई। दिनांक अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा. पत्र पर बहस सुनाई जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा. पत्र के तथ्यो को ही कथन किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि 'न मांगा था जिसमे उन्होने अवगत कराया था कि नये खसरा नम्बर 1584/948 में से उक्त रास्ता 22 मीटर लम्बाई का अंकन किया जाना है। उक्त खसरा नम्बर के खातेदार प्रार्थना पत्र में पहले से ही पक्षकार उक्त पत्रावली को तलब कर खसरा नम्बर 948 में 72 मीटर लम्बाई की जो राशी राजकोष में जमा करायी गई है उसमें से 22 मीटर लम्बाई की राशी खसरा नम्बर 1584/948 के खातेदार को दिलवायी जावे एवं प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 1584/948 के संबंध मे संशोधित निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावली को तलब कर खसरा नम्बर 948 में 72 मीटर लम्बाई की जो राशी राजकोष में जमा करायी गई है उसमे से 22 मीटर लम्बाई की राशी खसरा नम्बर 1584/948 के खातेदार को दिलवायी जावे एवं प्रार्थना पत्र मे खसरा नम्बर 1584/948 के संबंध में संशोधित निर्णय पारित की कृपा करें। अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पर पत्रावली तलब की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय हाजा के निर्णय में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 को पक्षकार बनाया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार न्यायालय हाजा ने ख. नं. 948 रकबा 0.19 है0 सिवायचक भूमि में से 72 मीटर लम्बाई व 3 मीटर चौड़ाई, ख. नं. 949 में 54 मीटर लम्बाई व 3 मीटर चौड़ाई, व ख. नं. 950 में 44 मीटर लम्बाई व 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता अन्तर्गत धारा 251 क में प्रार्थी को कीमतन डी.एल.सी दुगनी राशि जमा कराने पर दिया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 ता 6 व अप्रार्थीगण संख्या 2 के कायम मुकामान अप्रार्थीगण संख्या 2/1 ता 2/4 द्वारा माननीय न्यायालय आर. ए. ए. टोंक में अपील पेश की गई जिसमें बाद सुनवाई माननीय न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 18.07.2022 में न्यायालय हाजा के निर्णय को यथावत रख दिया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम की तामील

पत्रावली माननीय न्यायायल से प्राप्त होकर दाखिल दफ्तर कर दी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व तहसीलदार दूनी के पत्रांक राजस्व/22/427 दिनांक 24.08.2022 से मार्ग दर्शन मांगा गया कि ख. नं. 948 रकबा 0.19 है0 किस्म सिवायचम में अन्य ख. नं. 1584/948 गणेश सिंह पुत्र लाल सिंह तथा आशा कंवर पत्नी श्री गणेश सिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज है जिसका नक्शा शीट में अंकन है तथा ख. नं. 1584/948 की उतरी मेड से लम्बाई 22 मीटर है तथा मौका रिपोर्ट में तत्कालीन पटवारी द्वारा अंकन नहीं किया गया है। ख. नं. 948 में से 72 मीटर लम्बाई का रास्ता स्वीकृत है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना है जबकि इसी ख. नं. के लगवा 1584/948 में से 22 मीटर लम्बाई का रास्ता अंकित किया जाना है। तहसीलदार द्वारा ख. नं. 948 एवं ख. नं. 1584/948 में से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने बाबत मार्गदर्शन/आदेश मांगे गये।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पेश करते समय कथन किया कि जब पत्रावली माननीय न्यायालय आर. ए. ए में विचाराधीन चल रही थी तब तहसीलदार द्वारा ख. नं. 948 रकबा 0.19 है0 के नये ख. नं. 1584/948 रकबा 0.16 है0 व ख. नं. 948 रकबा 0.03 है बना दिये गये, जो तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये है जबकि प्रार्थी ने पूर्व में न्यायालय हाजा से निर्णय के समय कुल डीएलसी की दुगनी दर से राशि 24118/– रूपये जमा करा दी गई थी जिसमें ख. नं. 948 में लम्बाई 72 मी. व चौड़ाई 3 के लिए 10214/–रूपये भी शामिल है। यदि ख. नं. 948 के लिए जमा राशि सरकारी खजाने में जमा हो गई हो तो प्रार्थी पुनः आवश्यक राशि जमा करवाने के लिए तैयार है। सरकार अतः निर्णय में संशोधन कर तहसीलदार दूनी को उसके उक्त पत्र के कम में रास्ता तरमीम के आदेश प्रदान करने का श्रम करे।

अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय अधिवक्ता के कथन व तहसीलदार दूनी द्वारा मांगा गया मार्गदर्शन पत्र से यह तथ्य सामने आते है कि न्यायालय हाजा के निर्णय बाद जब पत्रावली मान. न्यायालय टोंक में निर्णय में विचाराधीन चल रही थी तब तहसीलदार द्वारा ख. नं. 948 रकबा 0.19 है0 में से नये ख. नं. 1584/948 रकबा 0.16 है0 बनाते हुए अप्रार्थी संख्या 3 व 6 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 6 पत्रावली में पूर्व से ही पक्षकार है। अतः स्पष्ट है कि अप्रार्थी 3 व 6 को अपनी खातेदारी भूमि से सम्बन्धित प्रकरण की समस्त जानकारी पूर्व से ही है। यद्यपि तहसीलदार दूनी द्वारा अपने मार्गदर्शन पत्र में यह नहीं बताया कि ख. नं. 948 में नये ख. नं. 1584/948 रकबा 0.16 है0 बनाते हुए कैसे अप्रार्थी संख्या 3 व 6 के नाम दर्ज की गई । तहसीलदार द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

जानकारी प्रार्थी को नही थी । प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय हाजा के निर्णय 11.10.18 मे संशोधन करवाकर रास्ता तरमीम करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी न्यायसंगत होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 11.10.18 में वर्णित ख. नं. 949, 950, 948 में रास्ते की तरमीम करते हुए ख. नं. 948 से बने नये ख. नं. 1584/948 रकबा 0.16 है0 में लम्बाई 22 मीटर व चौड़ाई 3 मी. कुल 66 वर्ग मी. की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर करे और बाद तरमीम 66 वर्ग मी. के लिए वर्तमान डी. एल.सी दर की दुगनी राशि प्रार्थी सें जमा करवाकर अप्रार्थी संख्या 3 व 6 को संदाय करे। उक्तानुसार अंकन मूल निर्णय दिनांक 11.10.18 में नोट डालकर लाल स्याही से करे। पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)